न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 42/2019

अपीलान्ट्स

प्रभुराम पुत्र लाबुराम, जाति पीटल, निवासी– ग्राम लूणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. घीसूलाल पुत्र धनराज जाति घांची, निवासी– लूणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर।
3. ग्राम पंचायत लूणी जरिये सरपंच।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 959 जो तहसीलदार लूणी द्वारा दिनांक 11.06.2002 को स्वीकार किया गया।

————

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री सुगनमल परिहार उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अभिभाषक श्री हनुमान प्रजापति उपस्थित।

–: आदेश :– दिनांक :– 24.07.2019

अपीलान्ट अभिभाषक ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम नामान्तरकरण संख्या 959 जो तहसीलदार लूणी द्वारा दिनांक 11.06.2002 को स्वीकार किया गया के विरूद्ध पेश की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि गांव चवा हाल ग्राम लूणी में कृषि भूमि खसरा नं0 412 रकबा 43 बीघा 8 बिस्वा मूल रूप से रामा बेटा खुमा पीटल के बापी की जमीन थी एवं इसका बापी पट्टा उसके नाम सन् 1941 में जारी किया हुआ था। रामा के स्वर्गवास के बाद उपरोक्त भूमि में उसके विधिक वारिसों को बापी अधिकार विरासत में अर्जित हुए। कालान्तर में भूमि राजकीय खाते में दर्ज कर दी गई एवं सन् 1978 में उपरोक्त भूमि गोचर हेतु आरक्षित कर दी गई। भूमि को गोचर दर्ज करने के संबंधी आदेश के विरूद्ध सन् 1993 में एक अपील राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के न्यायालय में इस आधार पर पेश की कि उपरोक्त भूमि में से 13 बीघा भूमि का आवंटन सन् 1971 में इसके नाम से किया गया जबकि कोई आवंटन आदेश पत्रावली पर पेश नहीं किया गया। अपील न्यायालय ने अपील

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.10.27 16:50:25 IST
Reason: SelfAttested

स्वीकार करते हुए सन् 1978 में पारित आदेश को 13 बीघा भूमि के सन्दर्भ में निरस्त कर दिया। इसके आधार पर रेस्पोडेन्ट घीसूलाल ने तहसीलदार के समक्ष नामान्तरकरण हेतु आवेदन किया एवं तहसीलदार ने बिना किसी जांच के 13 बीघा भूमि का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट घीसूलाल के नाम दिनांक 11.06.2002 को स्वीकार कर दिया। नामान्तरकरण के आधार पर किये गये गलत इन्द्राजों का नाजायज फायदा उठाते हुए उपरोक्त भूमि की मनमाने ढंग से नक्शे में तरमीम करवा कर भूमि पर कब्जे का प्रयास किया तब अपीलार्थी व गांव के अन्य लोगों ने रेकर्ड से पता करवाया तो मालूम हुआ की नामान्तरकरण संख्या 959 के जरिये उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज है। इससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

अपीलान्ट अभिभाषक द्वारा यह अपील प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये जो विधिवत् तामिल होना पाया गया। रेस्पोडेन्ट 1 की ओर से अभिभाषक श्री हनुमान प्रजापति ने अपना वकालतनामा पेश किया। प्रकरण से संबंधित मूल रेकर्ड तहसीलदार लूणी से प्राप्त किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस दिनांक 18.07.2019 सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक श्री सुगनमल परिहार ने अपनी मौखिक बहस में कथन किया कि राजस्व अपील अधिकारी के आदेश से नामान्तरकरण संख्या 959 जो रेस्पोडेन्ट घीसूलाल के नाम दर्ज किया गया उसमें आवंटन आदेश की प्रति नहीं मिली। राजस्व अपील अधिकारी का निर्णय आवंटन के आधार पर किया गया लेकिन आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं है। रेस्पोडेन्ट आवंटन आदेश की प्रति पेश करें। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी से रेकर्ड तलब किया जावे। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर से आवंटन आदेश का रेकर्ड तलब किया जावे। आवंटन हुआ या नहीं मुख्या मुद्दा यह है। आवंटन आदेश के बिना न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी में आदेश पारित हुआ है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक श्री हनुमान प्रजापति ने अपनी मौखिक बहस मे कथन किया कि प्रार्थना–पत्र (मूल आवंटन आदेश तलब करने बाबत्) मामले को लम्बित करने के लिए है। नामान्तरकरण की अपील है, आवंटन आदेश को तलब करने का कोई औचित्य नहीं है। नामान्तरकरण राजस्व अपील अधिकारी के आदेश की पालना में भरा गया है। राजस्व अपील अधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती है। राजस्व अपील अधिकारी का आदेश आज भी प्रभाव में है व अपील का कोई आधार नहीं है। प्रार्थना–पत्र खारिज किया [illegible]। [illegible]जी का अपीलान्ट से कोई संबंध नहीं है। सहायक कलक्टर द्वारा भूमि [illegible] की गई, जिन्हे यह अधिकार नहीं था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.10.27 16:50:25 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी का आदेश स्पष्ट है, मेहताब देवी की अपील भी स्वीकार हुई। मेहताब देवी के खिलाफ रेवेन्यू बोर्ड में अपील हुई और खारिज हुई। राजस्व रेकर्ड आज भी है। प्रस्तुत अपील में आवंटन आदेश व राजस्व अपील अधिकारी के आदेश को चुनौती नहीं दी गई है। प्रभुलाल की खसरा नं0 410 व 411 खातेदारी की भूमि है, भूमि विवादित कर दबाव बनाकर खरीदने की मंशा से अपील की है। अपील दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से पेश की गई है। नामान्तरकरण भरे जाने के 18 वर्ष बाद अपील पेश की है। राजस्व अपील अधिकारी के आदेश में भी मौका रिपोर्ट में रेस्पोडेन्ट का कब्जा है। अपील प्रस्तुत करने की देरी का कोई न्यायसंगत कारण नहीं बताया है। अतः अपील निराशाजनक व समयबाधित है। अतः अपील खारिज करने का आदेश फरमावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक श्री सुगनमल परिहार ने अपनी मौखिक बहस में दुबारा कथन किया कि कोर्ट के असीमित अधिकार है, रेकर्ड को तलब किया जा सकता है। रेस्पोडेन्ट ने 1993 में अपील क्यों कि? 1971 से 1993 के मध्य अपील क्यों नहीं की? मेहताबदेवी ने अब जमीन बेची। राजस्व अपील अधिकारी व रेवेन्यू बोर्ड ने आवंटन आदेश का परीक्षण नहीं किया। आवंटन आदेश मंगवाकर परीक्षण किया जावें। आवंटन हुआ या नहीं जांच की जावे। Fraudalently प्राप्त आदेश की validity नही है। आवंटन है ही नहीं तो चुनौती क्या करें। अतः नामान्तरकरण निरस्त करने का आदेश फरमावें।

प्रस्तुत अपील में प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया इस अपील में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

अपीलान्ट अभिभाषक द्वारा एक प्रार्थना–पत्र मूल आवंटन आदेश तलब करने बाबत् पेश किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अभिभाषक ने इसका विरोध करते हुए कथन किया कि अपीलान्ट ने नामान्तरकरण संख्या 959 दिनांक 11.06.2002 की स्वीकृती की अपील कि है और उक्त नामान्तरकरण राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के निर्णय दिनांक 04.06.98 की पालना में स्वीकृत किया है। मूल आवंटन आदेश बाबत् राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर ने पूर्ण विवेचन करने के बाद यह आदेश पारित किया है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, अधीनस्थ न्यायालय के मूल नामान्तरकरण व उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। इस प्रकरण में तथ्यात्मक स्थिति यह है कि गांव चवा हाल ग्राम लूणी में कृषि भूमि खसरा नं0 412 रकबा 43 बीघा 8 बिस्वा मूल रूप से रामा बेटा खुमा पीटल के बापी की जमीन थी एवं इसका बापी पट्टा

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.10.27 16:50:25 IST
Reason: SelfAttested

उसके नाम सन् 1941 में जारी किया हुआ था। रामा के स्वर्गवास के बाद उपरोक्त भूमि में उसके विधिक वारिसों को बापी अधिकार विरासत में अर्जित हुए। कालान्तर में भूमि राजकीय खाते में दर्ज कर दी गई एवं सन् 1978 में उपरोक्त भूमि गोचर हेतु आरक्षित कर दी गई। भूमि को गोचर दर्ज करने संबंधी आदेश के विरूद्ध सन् 1993 में एक अपील राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के न्यायालय में इस आधार पर पेश की गई कि उपरोक्त भूमि में से 13 बीघा भूमि का आवंटन सन् 1971 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से किया गया है। अपील न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए सन् 1978 में पारित आदेश को 13 बीघा भूमि के सन्दर्भ में निरस्त कर दिया। इसके आधार पर रेस्पोडेन्ट घीसूलाल ने तहसीलदार के समक्ष नामान्तरकरण हेतु आवेदन किया एवं तहसीलदार ने 13 बीघा भूमि का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट घीसूलाल के नाम दिनांक 11.06.2002 को स्वीकार कर दिया।

अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 959 के कॉलम संख्या 14 में यह अंकित किया गया है कि न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर 86/93 निर्णय दिनांक 4.6.98 एवं श्रीमान तहसीलदार के आदेश दिनांक 11.10.01 प्रशासन गांवों के संग शिविर में नामान्तरकरण स्वीकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के आदेश दिनांक 4.6.98 की पालना में स्वीकृत किया गया है। अतः नामान्तरकरण स्वीकृति में अधीनस्थ न्यायालय की कोई त्रुटि नहीं पाते है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से एतद् खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल नामान्तरकरण निर्णय की प्रति के साथ पुनः भेजा जावे।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.10.27 16:50:25 IST
Reason: SelfAttested